क.रा.बी.नि.
E. S. I. C.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय/Regional Office
10-बी (राधा भवन), शास्त्री नगर जम्मू (जे एवं के)-180004
10-B (Radha Bhawan), Shastri Nagar, Jammu(J&K)-180004
Phone No. 0191-2459568, E-mail:- rd-jnk@esic.nic.in
Website:- www.esic.nic.in

संख्या-एफ-20025/1012022-कैश-पार्ट(1)   दिनांक : 16.7.2025

परिपत्र

यह देखने में आया है कि क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत यात्रा-भत्ता(टीए) और छुट्टी यात्रा रियायत(एलटीसी) बिलों में कई अनियमितताएँ पाई गई हैं। इस संबंध में, बिल-प्रक्रिया में देरी और अनावश्यक पत्राचार से बचने के लिए निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं:-

क. सभी यात्रा-भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत बिल दो प्रतियों में जमा किए जाने चाहिए(एक मूल प्रति में होना चाहिए)।

ख. यात्रा-भत्ता/दैनिक-भत्ता(डीए) बिल के अग्रेषण के संबंध में, संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, यात्रा-भत्ता दावों को सहायक दस्तावेज़(जैसे, यात्रा कार्यक्रम का अनुमोदन जिसमें पात्रतानुसार देय यात्रा-भत्ता/दैनिक-भत्ता का स्पष्ट उल्लेख हो, मूल परिवहन टिकट, मूल बोर्डिंग पास, मूल होटल चालान आदि) के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्थानांतरण/दौरा/छुट्टी यात्रा रियायत पर यात्रा-भत्ता दावे के संबंध में हवाई-यात्रा के मामले में, न्यूनतम किराये का स्क्रीनशॉट अनिवार्य है।

ग. यदि अधिकारी दौरे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की छुट्टी पर है, तो दावों के निपटान को प्रस्तुत करते समय ईआरपी बिल के नोटिंग भाग में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

घ. जब भी कार्यालय निशुल्क परिवहन/आवास/भोजन प्रदान करता है, तो दावों के निपटान प्रस्तुत करते समय ईआरपी बिल के नोटिंग भाग में इसका उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए; अन्यथा इसे असत्य दावा माना जाएगा।

दावे का प्रकार	समय-सीमा
दौरा/स्थानांतरण/ प्रशिक्षण/स्थानीय परिवहन के संबंध में यात्रा भत्ता	यदि अग्रिम राशि नहीं ली गई है, तो यात्रा पूरी होने की तिथि से 60 दिन बाद तक। यदि अग्रिम राशि ली गई है, तो यात्रा पूरी करने की तिथि से 15 दिन बाद तक|
छुट्टी यात्रा रियायत गृह-नगर/अखिल भारतीय	यदि कोई अग्रिम राशि नहीं ली गई है, तो छुट्टी यात्रा रियायत गृह नगर /अखिल भारतीय यात्रा से वापसी पूरी होने के तीन माह के भीतर; यदि अग्रिम राशि ली गई है, तो यात्रा से वापसी पूरी होने के एक माह के भीतर।

उपर्युक्त समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए, अन्यथा दावे नियमानुसार जब्त कर लिए जाएंगे।

ड़. सभी मामलों में, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी हवाई-यात्रा द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का दावा करता है, तो उसे हवाई-टिकट केवल अनुमोदित ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से ही बुक करना अपेक्षित है, जैसे: (i) मेसर्स बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल) (ii) मेसर्स अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स (एटीटी) और (iii) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) से, वह भी केवल सरकारी ईमेल आईडी के माध्यम से।

यह परिपत्र उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30.06.2025 के पिछले परिपत्र का अधिक्रमण करता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राजेन्द्र सिंह मनवाल)
सहायक निदेशक
(रोकड़ शाखा)

प्रतिलिपि:

1) सभी अधिकारी/कर्मचारी, क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू, क रा बी निगम|
2) सभी अधिकारी/कर्मचारी, सभी डीसीबीओ, क रा बी निगम|
3) नोटिस बोर्ड|